BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 29 सितम्बर, 2025 **थाना अनूपशहर**

सिद्धार्थ चन्द्रा की हत्या का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त बाइक व आलाकत्ल रस्सी बरामद ।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 24.09.2025 को थाना अनूपशहर क्षेत्रान्तर्गत जहांगीराबाद दौलतपुर रोड पर सडक किनारे 01 व्यक्ति का शव मिला था। जिसकी शिनाख्त सिद्धार्थ चन्द्रा पुत्र त्रिलोकी चन्द्रा निवासी जसोदिया एन्कलेव फतेहबाद रोड थाना ताजगंज जनपद आगरा। (हाल निवासी 68 वेस्ट मॉडल टाउन मिथलेश नर्सिंग होम के पास थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद।) के रूप में हुई । इस सम्बन्ध में मृतक के भाई आशीष चन्द्रा की तहरीर के आधार पर थाना अनूपशहर पर मुअसं-374/25 धारा 103(1), 238 बीएनएस व 3/2/5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/विवेचनात्मक कार्यावाही में थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा घटना के प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अनूपशहर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. बब्लू शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी पंचशील कॉलोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर। (स्थायी निवासी ग्राम खलीलपुर थाना धनारी जनपद सम्भल ।)
2. मोहित उर्फ संजू पुत्र विनोद कुमार निवासी भैरोली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर। (हाल निवासी- गांव छपरोला थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर)
3. नितेश शर्मा पुत्र चन्द्रपाल निवासी पंचशील कॉलोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त बाइक

2- आलाकत्ल रस्सी

3- 03 मोबाइल फोन

घटना का कारण- बब्लू शर्मा उपरोक्त द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की शिनाख्त अपने चाचा ओमकार के रुप में की गयी थी। पुलिस द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बब्लू उपरोक्त के चाचा ओमकार की मृत्यु 03 वर्ष पूर्व हो चुकी है। बब्लू उपरोक्त से पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त सिद्धार्थ चन्द्रा उपरोक्त के रूप में हुई । मृतक को होटलो में रहाना पंसद था। घर पर कम ही रहता था। होटल में मृतक की मुलाकात 03-04 वर्ष पूर्व ब्बलू शर्मा उपरोक्त से हुई, जो रुम अटेन्डर का काम करता था। जिसका काम मृतक के शोक पुरे करवाना था। मृतक के खाते में काफी पैसा था जिसकी जानकारी बब्लू शर्मा को हो गयी थी तथा मृतक द्वारा यूपीआई करते समय बब्लू ने मृतक का यूपीआई पिन देख लिया था। उसने अपने साथी संजू

उर्फ मोहित व नितेश शर्मा के साथ मृतक का पैसा हडपने की योजना बनाई । मृतक द्वारा बब्लू शर्मा से कहा था की होटल का किराया ज्यादा है एकन्त में कोई सस्ता मकान दिलवा दो। बब्लू द्वारा एक मकान किराये पर लिया तथा दिनांक 22.09.2025 की रात्रि में मृतक को शिफ्ट कर दिया। मृतक की देखभाल के लिए अपने भाई अंकित को छोड दिया था । बब्लू के भाई अंकित ने उसे फोन कर कहा कि मृतक गाली गलौच कर उसे परेशान कर रहा है। दिनांक 23.09.2025 को बब्लू शर्मा, सन्जू उर्फ मोहित व नितेश मोटरसाइकिल पर आये और मृतक को अपने साथ ले गये। जहांगीराबाद दौलतपुर रोड पर ग्राम लोधई के पास सडक किनारे खेत में रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी
तथा फरार हो गये। अभियुक्त बब्लू शर्मा द्वारा मृतक का यूपीआई ऐप अपने फोन में चलाकर मृतक के खाते से 05 लाख 48 हजार रुपये अलग-अलग खातो में ट्रांसफर कर लिये। पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त तीनो अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जिन-जिन बैंक खातों में पैसा गया हैं उन सभी खातों को फ्रीज कराया गया हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर ।
2. व0उ0नि0 केदार नाथ राय, उ0नि0 दर्शन सिंह, उ0नि0 लोकेन्द्र सिंह
3. है0का0 अंकित कुमार, है0का0 मनदीप कुमार, है0का0 माइकल बैसला, का0, आ0 मौ0 आजाद
4. सर्विलांस सैल जनपद बुलन्दशहर ।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।